राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –234/2013/अलवर

सहायक आयुक्त,
वृत्त–बी, भिवाड़ी, अलवर .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स रानूट्रोल इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0
भिवाडी, अलवर .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एस.के. जैन
अभिभाषक। ..... प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 04.05.2017

निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा गया है) के अपील सं 91/आरवैट/2011–12/उपा/अपील्स/अलवर में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.07.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के तहत् प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत–बी, भिवाड़ी, अलवर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी फर्म का दिनांक 19.05.2011 को सर्वेक्षण किया जाकर कर रूपये 51,780/– व अधिनियम की धारा 75(8) के तहत् शास्ति 1,10,957/– रूपये कुल मांग राशि 1,62,737/– रूपये की मांग सृजित करने का आदेश दिनांक 21.07.2011 को पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.07.2012 से अपील स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित की गयी। इससे व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।
3. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।
4. बहस के दौरान विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी फर्म का सर्वेक्षण लेखाकार व दो स्वतंत्र गवाहों

लगतार.....2

की उपस्थिति में किया जाकर व्यवसायिक स्तर पर माल का स्टॉक लिया जाकर लेखापुस्तकों से मिलान कराये जाने पर रूपये 3,69,857/– कर योग्य माल लेखापुस्तकों में दर्ज नहीं पाया गया। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करापवंचन मानते हुए इस अघोषित माल पर 14 प्रतिशत की दर से कर व शास्ति का आरोपण किया गया, जो विधिनुसार किया गया था। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि उक्त सर्वेक्षण फर्म के लेखाकार श्री अशोक भारद्वाज व दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में किया गया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है, जो अविधिक होने से अपास्त किये जाने योग्य है तथा उप राजकीय अभिभाषक द्वारा विभाग की अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने समस्त पहलुओं पर विचार कर एवं तथ्यात्मक व विधिक बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिप्रेषित का आदेश पारित किया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20.07.2012 को यथावत रखने का निवेदन किया तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का आग्रह किया।

6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

7. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 19.05.2011 को फर्म का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के दौरान कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि व्यवसायिक स्थल पर रखें माल व लेखापुस्तिका में दर्ज माल में अन्तर है। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस दिये जाने पर उसके द्वारा दो आपत्तियॉ उठाई गई है, प्रथम स्टॉक सही नहीं लिया गया है, दूसरा स्टॉक में भिन्न–भिन्न रेंज के पीस को एक ही रेंज में लिखा गया है। उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में सशक्त अधिकारी द्वारा आदेशिका दिनांक 21.07.2011 में अंकित किया गया है कि "वक्त सर्वेक्षण स्टॉक टेकिंग के दौरान व्यवहारी फर्म के प्रतिनिधि श्री अशोक भारद्वाज, एकाउन्ट्स मैनेजर उपस्थित थे। इनकी उपस्थिति में दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पूरा स्टॉक लिया गया था। स्टॉक टेकिंग के उपरान्त तैयार की गई स्टॉक फर्द पर भी श्री भारद्वाज एकाउन्ट्स मैनेजर एवं दों स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर है, जो पत्रावली के पेज 18 से 24 तक पर उपलब्ध हैं। जवाब में उल्लेखित दूसरा बिन्दु

लगतार.....3

भी इसलिए स्वीकार्य नहीं है कि दिनांक 17.06.2011 को स्टॉक के मूल्यांकन के वक्त भी श्री अशोक भारद्वाज,एकाउन्ट्स मैनेजर उपस्थित थे इनकी मौजूदगी में ही स्टॉक का मूल्याकन कर मूल्यांकन फर्द तैयार की गई है, जिस पर भी श्री भारद्वाज के हस्ताक्षर मौजूद है। मूल्यांकन बाबत कोई आपत्ति वक्त मूल्यांकन इनके द्वारा नहीं की गई थी। पत्रावली पर उक्त प्रकार से उपलब्ध साक्ष्य से यह स्वीकार योग्य नही है कि स्टॉक सही ढंग से नहीं लिया गया है अथवा स्टॉक में भिन्न–भिन्न रेंज के पीस होने के बावजूद एक ही रेंज में लिखा गया है, क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म के एकाउन्ट्स मैनेजर की उपस्थित में स्टॉक की फर्द तैयार की गई, जिस पर दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर उपलब्ध हैं। जो पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिका दिनांक 21.07.2011 से स्पष्ट है।

8. अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित करना उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2012 को अपास्त किया जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष